समक्ष सुवीर सहगल, जे.

धर्मेंद्र कुमार-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य प्रतिवादी

2021 का सी. आर. एम.-एम. No.19646

17 फरवरी, 2021

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-खंड 482-याचिकाकर्ता को उद्घोषित व्यक्ति घोषित करने के आदेश को रद्द करना और भा.दं.सं. सी. की खंड 174-ए के तहत दर्ज प्राथमिकी आर. को रद्द करना-जब आरोपी निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, तो उसे अब अपराधी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता-वह गिरफ्तारी से बच नहीं रहा है-उसे उद्घोषित व्यक्ति घोषित करने वाली कार्यवाही और परिणामी प्राथमिकी को रद्द कर दिया जाता है-याचिका की अनुमति दी जाती है।

अभिनिर्धारित किया कि Cr.P.C की खंड 82 में निहित प्रावधान का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।एक बार जब आरोपी निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है और कार्यवाही में शामिल हो जाता है, तो उसे अब अपराधी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।अभियुक्त के उपस्थित होने पर, जिस उद्देश्य के लिए खंड 82 Cr.P.C के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, वह पूरा हो गया है।इसके अलावा, 2014 के सी. आर. एम.-एम. 9450 में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 'आशीष गुप्ता बनाम पंजाब राज्य' शीर्षक से 02.08.2014 पर निर्णय लिया जो इस प्रकार हैः-

"जब कोई अभियुक्त हिरासत में लिए जाने से बचने के लिए अपने लिए उपलब्ध अग्रिम जमानत के कानूनी उपाय का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है या छिप गया है।इसके अलावा, जब 04.02.2014 पर, याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत की अंतरिम राहत दी गई, तो वह जाँच अधिकारी के सामने पेश हुआ और जाँच में शामिल हो गया।यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि किसी भी स्तर पर, याचिकाकर्ता जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी से नहीं बचा था।यहां तक कि जब इस अदालत ने 28.02.2014 पर अग्रिम जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया था, तब भी उन्होंने कुछ ही समय के भीतर इस प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर की कि उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया जाए।ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को कानून के तहत उसके लिए उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने के लिए उचित समय दिए बिना अभियोजन पक्ष ने उसे एक घोषित व्यक्ति घोषित करने के लिए जल्दबाजी की।यह सच है कि याचिकाकर्ता हमेशा यह जानता था कि उसे प्राथमिकी में एक आरोपी के रूप में फंसाया गया है क्योंकि उसका सह-आरोपी, जिसे पहले ही हिरासत में ले लिया गया था, उसके करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन यह मानने का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।

(पैरा 7)

आगे कहा गया कि इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के उपरोक्त अवलोकन इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होती है।नतीजतन, इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ता को उद्घोषित व्यक्ति घोषित करने का आदेश और परिणामी प्राथमिकी को दरकिनार किया जाना चाहिए।

(पैरा 8)

संदीप कुमार यादव, अधिवक्ता
याचिकाकर्ता के लिए।
गुरमीत सिंह, ए. एएजी प्रतिवादी-राज्य के लिए।
मुकेश यादव, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता

सुवीर सहगल जे.

(1) कोविड-19 महामारी के कारण न्यायालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा से बुलाया गया है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की खंड 482 के तहत दायर तत्काल याचिका द्वारा से, याचिकाकर्ता ने उप-मंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनियन, जिला महेंद्रगढ़ द्वारा पारित दिनांक 29.06.2020 (अनुलग्नक पी-5) के आदेश को रद्द करने की मांग की है, जिसमें उन्हें भारतीय दंड संहिता

1860 की खंड 452,323,376,511,506,216 के तहत पुलिस स्टेशन कनीना, जिला महेंद्रगढ़ (अनुलग्नक पी-1) के साथ-साथ भा.दं.सं. की खंड 174-ए, पुलिस स्टेशन कनीना, जिला महेंद्रगढ़ (अनुलग्नक पी-3) में दर्ज प्राथमिकी No.235 दिनांक 08.07.2020 में घोषित किया गया था (अनुलग्नक पी-6)|

(3) संक्षेप में, वर्तमान याचिका दायर करने के लिए अग्रणी तथ्य यह हैं कि अभियोजक की शिकायत पर प्राथमिकी (अनुलग्नक पी-1) दर्ज की गई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था।दो दिन बाद, याचिकाकर्ता की पत्नी ने शिकायतकर्ता के पिता के खिलाफ 03.01.2020 (अनुलग्नक पी-2) पर भा.दं.सं. की खंड 354-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई।जाँच के बाद, जाँच एजेंसी ने 20.05.2020 पर ट्रायल कोर्ट के समक्ष एक रद्द करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ता ने एक विरोध याचिका दायर की है जिसे लंबित बताया गया है।याचिकाकर्ता ने खंड 438 Cr.P.C के तहत अग्रिम जमानत देने के लिए सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे 22.05.2020 पर अस्वीकार कर दिया गया था।उन्होंने 2020 के सी. आर. एम.-एम.-13960 के माध्यम से उसी राहत के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसे 06.07.2020 पर वापस ले लिया गया था क्योंकि राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया था कि याचिकाकर्ता को आदेश संलग्नक पी-5 के माध्यम से उद्घोषित किया गया है।इसके बाद,

तत्काल याचिका दायर की गई और 20.07.2020 पर सुनवाई के लिए आई, जिसमें प्रस्ताव का नोटिस जारी करते समय, इस न्यायालय ने विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि 08.07.2020 पर दर्ज प्राथमिकी (अनुलग्नक पी-6) के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत (2020 का सी. आर. एम.-एम.-20488) देने के लिए एक और याचिका दायर की जिसमें याचिकाकर्ता को 27.07.2020 पर अंतरिम जमानत दी गई।इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता जांच में शामिल हो गया।हालाँकि, याचिकाकर्ता के अपराध, आचरण और पूर्ववृत्त की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उक्त याचिका को 05.08.2020 पर खारिज कर दिया गया था।इसके बाद याचिकाकर्ता ने 2020 की विशेष अवकाश याचिका (अपराधिक) No.3982 दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसे 18.09.2020 पर खारिज कर दिया गया था। उनकी याचिका को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करता है और जमानत पर विस्तार की मांग करते हुए एक आवेदन दायर करता है, तो निचली अदालत को इस पर विचार करना चाहिए और कानून के अनुसार इसका निपटारा करना चाहिए।याचिकाकर्ता ने 24.09.2020 पर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और नियमित जमानत पर रिहाई की मांग की जिसे 09.12.2020 पर अस्वीकार कर दिया गया।

(4) याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया है कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उसके लिए उपलब्ध सहायता की मांग कर रहा था और उसकी ओर से प्रक्रिया से बचने का कोई इरादा नहीं था।यह उनका तर्क है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और इसलिए, उन्हें एक उद्घोषित व्यक्ति घोषित करने वाले आदेश ने अपना प्रभाव खो दिया है और उक्त आदेश और विवादित प्राथमिकी को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए।

(5) याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील, जिन्हें शिकायतकर्ता के वकील द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, का कहना है कि सत्र न्यायालय द्वारा 22.05.2020 पर अग्रिम जमानत देने की याचिका खारिज होने से पहले ही गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था।जब इसे लागू नहीं किया गया, तो अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की खंड 82 को लागू किया और एक घोषणा के माध्यम से उनकी सेवा का आदेश दिया जो 22.05.2020 पर की गई थी।पुलिस उपाधीक्षक, महेंद्रगढ़ के शपथ पत्र के माध्यम से दायर जवाब का उल्लेख करते हुए, वे प्रस्तुत करते हैं कि सेवारत अधिकारी का बयान निचली अदालत के समक्ष 20.06.2020 पर दर्ज किया गया था और विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-5) के आधार पर, याचिकाकर्ता को उद्घोषित व्यक्ति घोषित किया गया था और इसके परिणामस्वरूप विवादित प्राथमिकी (अनुलग्नक पी-6) दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, वह प्रस्तुत करते हैं कि आज इस अदालत से याचिकाकर्ता की दलीलों के बाद सुनवाई लंबित रहने तक जमानत देने के लिए याचिका (2020 का सी. आर. एम.-एम.-38149) वापस ले ली गई है।

(6) मैंने पार्टियों के वकील की संबंधित दलीलों पर विचार किया है।

(7) Cr.P.C की खंड 82 में निहित प्रावधान का उद्देश्य अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है।एक बार जब आरोपी निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है और कार्यवाही में शामिल हो जाता है, तो उसे अब अपराधी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।अभियुक्त के उपस्थित होने पर, जिस उद्देश्य के लिए खंड 82 Cr.P.C के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, वह पूरा हो गया है।इसके अलावा, 2014 के सी. आर. एम.-एम. 9450 में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने 'आशीष गुप्ता बनाम पंजाब राज्य' शीर्षक से 02.08.2014 पर निर्णय लिया जो इस प्रकार हैः-

"जब कोई अभियुक्त हिरासत में लिए जाने से बचने के लिए अपने लिए उपलब्ध अग्रिम जमानत के कानूनी उपाय का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि वह अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है या छिप गया है।इसके अलावा, जब 04.02.2014 पर, याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत की अंतरिम राहत दी गई, तो वह जाँच अधिकारी के सामने पेश हुआ और जाँच में शामिल हो गया।यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि किसी भी स्तर पर, याचिकाकर्ता जानबूझकर अपनी

गिरफ्तारी से नहीं बचा था।यहां तक कि जब इस अदालत ने 28.02.2014 पर अग्रिम जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया था, तब भी उन्होंने कुछ ही समय के भीतर इस प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका दायर की कि उन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया जाए।ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को कानून के तहत उसके लिए उपलब्ध उपायों का लाभ उठाने के लिए उचित समय दिए बिना अभियोजन पक्ष ने उसे एक उद्घोषित व्यक्ति घोषित करने के लिए जल्दबाजी की।यह सच है कि याचिकाकर्ता को हमेशा पता था कि उसे प्राथमिकी में एक आरोपी के रूप में फंसाया गया है क्योंकि उसका सह-आरोपी, जिसे पहले ही हिरासत में लिया जा चुका था, उसके करीबी रिश्तेदार थे, लेकिन यह मानने का कोई आधार नहीं है कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था।"

(8) इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के उपरोक्त अवलोकन के आदेश इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं।नतीजतन, इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि याचिकाकर्ता को उद्घोषित व्यक्ति घोषित करने का आदेश और परिणामी प्राथमिकी को दरकिनार किया जाना चाहिए।

(9) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिका का निपटारा कर दिया जाता है। उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट, कनीना द्वारा पारित 29.06.2020 दिनांकित आदेश (अनुलग्नक पी-5) और खंड 174-ए, भा.दं.सं.,

P.S.Kanina, जिला महेंद्रगढ़ (अनुलग्नक पी-6) के तहत दर्ज 08.07.2020 दिनांकित प्राथमिकी 235 को रद्द करने का आदेश दिया गया है।

पायल मेहता

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देशय के लिए उपयुक्त रहेगा।

अनुवादक - कुलभूषण